संख्या-03/2017/5522/26-3-2016-10(7)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-193/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-09.11.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संचालित योजना/लेखा शीर्षक-"4225-02-796-06-25-लघु निर्माण कार्य-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र" में प्राविधानित धनराशि रूपया-41.90 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि अर्थात रूपया-41.90 लाख (रूपया इकतालिस लाख नब्बे हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं.	मद संख्या व मद नाम	आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि
1	25-लघु निर्माण-	4.40
2	26-मशीने और सज्जा उपकरण और संयंत्र	37.50
	योग:-	41.90

(रू0 इकतालिस लाख नब्बे हजार मात्र)

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

(2)-उक्त मदो में सामग्री क्रय इत्यादि में धनराशि के व्यय में नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर पर्चेजरूल में विहित प्रक्रिया का भी आवश्यकतानुसार अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये।

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि अवशेष बच जाये उसे शासन को समय से समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-25-लघु निर्माण कार्य-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-03/2017/5522(1)/26-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।